

१२.५.१५ पञ्जाबली राजस्व लोक अदालत अभियान
के माध्यम से आपके द्वारा-२०१८ में अरुण सेवा
केन्द्र काजीपुरा पेश ईद। मूल वार सहमति
के आधार पर डिक्री हो चुका है इसलिये १५.
मार्च को पञ्जाब अरुण सेवा के अतिरिक्त नती रद्द गया
है अतः मूल वार के परिपत्र में १५.११.१७ पर
फैसल किया गया। पञ्जाबली फैसल शुमार
होकर इन गम्बर से करटो। जोदेश मजम आर
में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लोक